कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक– 1633 / 15-1 दिनांक, मथुरा, 15 दिसम्बर, 2016.

अल्पकालीन निविदा सूचना

1– महामहिम, राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा सामग्री निर्माता व सप्लायर्स से वर्ष 2017 में होने वाले वृक्षारोपण की सुरक्षार्थ निम्न स्थलो पर बारवेड वायर की आपूर्ति हेतु निविदा आमन्त्रित की जाती हैं। टैण्डर दिनांक 23.12.2016 के अपरान्ह् 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या विशेष पत्रवाहक के द्वारा बन्द बाक्स में डाली जा सकती है। प्राप्त टैण्डर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी अथवा नामित अधिकारी द्वारा दिनाक 23.12.2016 को सांय 4.00 बजे खोले जायेंगे। दिनाक 23.12.2016 का अवकाश होने पर निविदायें अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय व स्थान पर खोली जायेंगी। निविदा की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी। टैण्डरदाता चाहे तो टैण्डर खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। लिफाफे के ऊपर बारबेड वायर हेतु निविदा लिखा जाना आवश्यक है। समस्त स्थलों पर बारबेड वायर की आपूर्ति हेतु एक टैण्डर फार्म क्रय करना होगा तथा बन्द लिफाफे में ही टैण्डर बॉक्स में डालना होगा।

2–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा (मीट्रिक टन में)	आपूर्ति स्थल का नाम	अर्नेस्ट मनी की धनराशि	टैण्डर फार्म का मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	Supply of Galvanised steel Barbed wire for fencing as per I.S.O. 278-1978 of latest amendments Type "A" in size designations 5 as specified in I.S. The Hot Dip zinc coating or line and point wise shall satisfy the requirements as laid down for the light coated wire of I.S.O 4826-1979 or latest amendments.	20 मी0टन (प्रभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत)	प्रभागीय निदेशक, सा0वा प्रभाग,मथुरा के द्वारा बताये गये स्थल पर	30000.00	(500+ 100) + वैट	आपूर्ति आदेश के दि0 से पन्द्रह दिन के अन्दर

3–निविदा फार्म में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के प्रपत्र अलग–अलग हैं, जिसे अलग–अलग बन्द लिफाफों में भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा इन लिफाफों पर स्पष्ट रूप से तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अंकित होना चाहिए। दोनों बन्द लिफाफों को पुनः एक अन्य लिफाफे में बन्द कर टैण्डर दिनांक 23.12.2016 के अपरान्ह् 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में बन्द बाक्स में डाली जा सकती है। उपरोक्त दिनांक व समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

4–कार्य को पूर्ण करने की अवधि कॉलम सं0 7 में अंकित है।

5–कॉलम संख्या–3 में दी गयी मात्रा आपूर्ति स्थलवार कम या अधिक हो सकती है। आपूर्ति बजट की उपलब्धता एवं कार्य की स्वीकृति से आच्छादित होगी।

6–निविदा प्रपत्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,मथुरा के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी से निर्धारित मूल्य देकर दिनांक 16.12.2016 से दि0 23.12.2016 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11.00 बजे सांय 4.00 बजे तक तथा दिनांक 23.12.2016. के दोपहर 1.00 बजे तक नगद अथवा किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो " **प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा**" के पक्ष में देय हो जमा कर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक निविदादाता अन्य आवश्यक सूचनायें प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,मथुरा के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

7–दिनांक 23.12.2016 को अपरान्ह् 2.00 बजे बक्सा सील कर दिया जायेगा।

8–कार्य को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करना होगा। अन्यथा स्वीकृत निविदादाता को विलम्ब शुल्क अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से करना होगा।

9–निर्धारित अर्नेस्ट मनी की धनराशि जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0सी0डी0ए0 या पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हों, टैण्डर के साथ संलग्न होनी चाहिए।

10–अधोहस्ताक्षरी को यदि यह विश्वास हो जाये कि स्वीकृत टैण्डर दाता कार्य समय से सम्पन्न करने या कार्य अनुमान से निर्धारित मानक के अनुसार नहीं कर रहा है तो स्वीकृत टैण्डर दाता की जमानत जब्त कर कार्य किसी अन्य एजेंसी/द्वितीय न्यूनतम टैण्डर दाता अथवा विभागीय रूप से कराने का अधिकार सूरक्षित होगा।

11–अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी टैण्डर को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

12–स्वीकृत टैण्डर दाता को नियमानुसार बिक्रीकर, स्टाम्प डयूटी व आयकर आदि जो भी कर कार्य अवधि के समय लागू होंगे, जमा करना होगा।

13–किसी भी विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

14–टैण्डरदाता को किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने का टैण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कार्यादेश जारी होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

15–कोई भी निविदादाता कार्यदायी प्रभाग–वृत्त में जहा उनका संबंधित अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट संबंधी (प्रथम रक्त संबंधी अथवा उसकी पत्नी) किसी पद पर कार्यरत हो, निविदा डालने के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

16–राज्य एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो वन विभाग में प्रशासनिक पद पर रहा हो, सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक शासन की अनुमति के बिना ठेकेदारी के कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि कार्य अवधि में ऐसा पाया जाता है तो उक्त अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

17–कोई भी निविदादाता जिसका अपराधिक इतिहास हो, को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

18–स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19–निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त सामग्री मूल्य का 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि की राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0सी0डी0ए0 या पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हों, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा। अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जमानत की धनराशि में समायोजित किया जा सकता है।

20–निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने के पश्चात अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें।

21–निविदा की वैधता इसकी प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 90 दिन के लिए होगी। प्राप्त निविदाओं को वापस नहीं किया जायेगा।

22–टैण्डर के साथ किसी भी राजकीय विभाग में वर्ष 2014–15 व 2015–16 में प्रत्येक वर्ष वारवेड वायर आपूर्ति करने का प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, वर्ष 2013–14, 2014–15 व 2015–16 आयकर विवरणी व व्यापार कर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक हैं। सामग्री निर्माता द्वारा उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त सामग्री निर्माण करने का प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक हैं।

23– वित्तीय बिड में स्थलवार आपूर्ति हेतु दरें अलग–अलग देनी होगी।

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,मथुरा ।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा

संख्या 1633/15-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।

2– अपर प्रमुख वन संरक्षक,आई0टी0,अरण्य सदन, सैक्टर 19 इन्दिरा नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि टैण्डर नोटिस को विभागीय वेबसाईट पर लोड करने का कष्ट करें। (स्पीड पोस्ट के माध्यम से)।

3– मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0 लखनऊ।

4– मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ।

4– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आगरा जोन, उ0प्र0, आगरा ।

5– वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।

6– जिलाधिकारी, मथुरा ।

7– समस्त प्रभागीय निदेशक, आगरा वृत्त आगरा ।

8– लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड मथुरा तथा प्रान्तीय खण्ड आगरा ।

9– जिला सूचना अधिकारी, मथुरा ।

10– उप प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा व सादाबाद ।

11– समस्त वन क्षेत्राधिकारी, मथुरा वन प्रभाग को 15–15 प्रतियों में व्यापक प्रचारार्थ।

12– ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, मथुरा खण्ड मथुरा ।

13– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मथुरा ।

14– प्रभारी, एन0आई0सी0, मथुरा को राजकीय वैबसाईट पर डालने हेतु।

15– नोटिस बोर्ड।

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,मथुरा ।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा

(1)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा

निविदा प्रपत्र का मूल्य 500+100 वैट सहित

तकनीकी बिड (बारवेड वायर)

सामाजिक वानिकी प्रभाग,मथुरा

1	निविदा फार्म का नम्बर, दिनांक व धनराशि	:........................
2	टैण्डर में मांगे गये विशेष मानक की उपलब्धता तथा आई0एस0आई0 / आई0एस0ओ0 की स्थिति	:........................
3	इकाई / फर्म का नाम एवं पता	:........................
4	पार्टनर / प्रोपराइटर / डायरेक्टर / वितरक का नाम	:........................
5	निविदा कय रसीद संख्या व दिनांक	:........................
6	अर्नेस्ट मनी की धनराशि का विवरण	:........................
7	अनुबन्ध पत्र 100 / – रू0 के स्टाम्प पर	:........................
8	उद्योग आधार प्रमाण पत्र	:........................
9	पैन नम्बर की छायाप्रति	:........................
10	टिन नम्बर की छायाप्रति	:........................
11	उ0प्र0वाणिज्य कर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र	:........................
12	आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का नमूना संलग्न परीक्षण रिपोर्ट की प्रति	:........................
13	उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वरा जारी सहमति पत्र	:........................
14	तीन वर्ष आयकर रिटर्न की प्रति एवं असीसमेंट बैलेन्स शीट की प्रति	:........................
15	टैण्डर नोटिस की प्रति	:........................
16	निविदादाता को राष्ट्रीय लद्यु उद्योग निगम भारत सरकार क पंजीकरण की प्रति या डी0आई0आर0सी0 की प्रति	:........................
17	वन विभाग में आपूर्ति करने का अनुभव	:........................
18	वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15 व 2015–16 की आपूर्ति आदेश की प्रति	:........................
19	हैसियत प्रमाण पत्र	:........................
20	चरित्र प्रमाण पत्र	:........................

निविदादाता के हस्ताक्षर / फर्म की मुहर / दिनांक

कमांक नम्बर..............................

वित्तीय बिड (बारवेड वायर)
सामाजिक वानिकी प्रभाग,मथुरा

1	निविदा फार्म का नम्बर, दिनांक व धनराशि	:..
2	आपूर्ति हेतु प्रस्ताविक मद/मदें	:..
3	इकाई/फर्म का नाम एवं पता	:..
4	आपूर्ति सामग्री की विशिष्टतया तथा विवरण/मेक आदि	:..
5	पार्टनर/प्रोपराइटर/डाइरेक्टर/वितरक का नाम	:..
6	आपूर्ति सामग्री की मदवार दरें प्रति मीटर टन (एफ0ओ0आर0 लोडिंग–अनलोडिंग सहित)	:..
7	मदवार करों का विवरण	:..
	1– उत्पाद शुल्क	:..
	2– उ0प्र0व्यापार कर	:..
	3– वैल्यू ऐडेड टैक्स (वेट)	:..
	4– अन्य कर यदि कोई हो	:..

निविदादाता के हस्ताक्षर/फर्म की मुहर/दिनांक

निविदा शर्तें :–

1–निविदा फार्म में तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड के प्रपत्र अलग–अलग हैं, जिसे अलग–अलग बन्द लिफाफों में भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा इन लिफाफों पर स्पष्ट रूप से तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अंकित होना चाहिए। दोनों बन्द लिफाफों को पुनः एक अन्य लिफाफे में बन्द कर टैण्डर दिनांक 23.12.2016 के अपरान्ह 2.00 बजे तक अथवा पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में बन्द बाक्स में डाली जा सकती है। उपरोक्त दिनांक व समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

2–कार्य को पूर्ण करने की अवधि कॉलम सं0 7 में अंकित है।

3–कॉलम संख्या–3 में दी गयी मात्रा आपूर्ति स्थलवार कम या अधिक हो सकती है। आपूर्ति बजट की उपलब्धता एवं कार्य की स्वीकृति से आच्छादित होगी।

4–निविदा प्रपत्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,मथुरा के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी से निर्धारित मूल्य देकर दिनांक 16.12.2016 से दि0 23.12.2016 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11.00 बजे सांय 4.00 बजे तक तथा दिनांक 23.12.2016. के दोपहर 1.00 बजे तक नगद अथवा किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो **" प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग मथुरा"** के पक्ष में देय हो जमा कर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक निविदादाता अन्य आवश्यक सूचनायें प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,मथुरा के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

5–दिनांक 23.12.2016 को अपरान्ह 2.00 बजे बक्सा सील कर दिया जायेगा।

6–कार्य को निर्धारित तिथि तक पूर्ण करना होगा। अन्यथा स्वीकृत निविदादाता को विलम्ब शुल्क अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित दर के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से करना होगा।

7–निर्धारित अर्नेस्ट मनी की धनराशि जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0सी0डी0ए0 या पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हों, टैण्डर के साथ संलग्न होनी चाहिए।

8–अधोहस्ताक्षरी को यदि यह विश्वास हो जाये कि स्वीकृत टैण्डर दाता कार्य समय से सम्पन्न करने या कार्य अनुमान से निर्धारित मानक के अनुसार नहीं कर रहा है तो स्वीकृत टैण्डर दाता की जमानत जब्त कर कार्य किसी अन्य एजेंसी/द्वितीय न्यूनतम टैण्डर दाता अथवा विभागीय रूप से कराने का अधिकार सुरक्षित होगा।

9–अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी टैण्डर को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

10–स्वीकृत टैण्डर दाता को नियमानुसार बिक्रीकर, स्टाम्प डयूटी व आयकर आदि जो भी कर कार्य अवधि के समय लागू होंगे, जमा करना होगा।

11–किसी भी विवाद की स्थिति में वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

12–टैण्डरदाता को किसी भी संस्था में काली सूची में दर्ज न होने का टैण्डर स्वीकृत होने के उपरान्त नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र कार्यादेश जारी होने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

13–कोई भी निविदादाता कार्यदायी प्रभाग–वृत्त में जहां उनका संबंधित अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट संबंधी (प्रथम रक्त संबंधी अथवा उसकी पत्नी) किसी पद पर कार्यरत हो, निविदा डालने के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

14–राज्य एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो वन विभाग में प्रशासनिक पद पर रहा हो, सेवानिवृत्ति के दो वर्ष तक शासन की अनुमति के बिना ठेकेदारी के कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि कार्य अवधि में ऐसा पाया जाता है तो उक्त अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

15–कोई भी निविदादाता जिसका अपराधिक इतिहास हो, को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

16–स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

17–निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त सामग्री मूल्य का 10 प्रतिशत जमानत की धनराशि की राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0सी0डी0ए0 या पोस्ट आफिस की एन0एस0सी0 के रूप में अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हों, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा। अर्नेस्ट मनी की धनराशि को जमानत की धनराशि में समायोजित किया जा सकता है।

19–निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने के पश्चात अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने होगें।

20–निविदा की वैधता इसकी प्राप्ति की अन्तिम तिथि से 90 दिन के लिए होगी। प्राप्त निविदाओं को वापस नहीं किया जायेगा।

21–टैण्डर के साथ किसी भी राजकीय विभाग में वर्ष 2014–15 व 2015–16 में प्रत्येक वर्ष वारवेड बायर आपूर्ति करने का प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, वर्ष 2013–14, 2014–15 व 2015–16 आयकर विवरणी व व्यापार कर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक हैं। सामग्री निर्माता द्वारा उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त सामग्री निर्माण करने का प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी आवश्यक हैं।

22– वित्तीय बिड में स्थलवार आपूर्ति हेतु दरें अलग–अलग देनी होगी।